" सीपा "

'कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन'

"सीपा" योजना भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित है जिसे "सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय" भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयित किया जा रहा है। "सीपा" जिसका पूरा नाम "कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन" है पुलिस विभाग हेतु निर्मित एक सॉफ्टवेयर है।

योजना का स्वरूप :– सीपा योजना के अर्न्तगत जनपदों के समस्त थानों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। किसी एक थाने में 3 से 5 कम्प्यूटरो की व्यवस्था की जायेगी। मुख्य रूप से इन कम्प्यूटरों को प्रधानतः तीन कक्षों में रखा गया है। इनमें से एक कक्ष "सर्वर रूम" है साथ ही थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षकों के कक्ष में भी एक कम्प्यूटर की व्यवस्था की गयी है व कार्यालय कक्ष में भी एक कम्प्यूटर की व्यवस्था की गयी है । ये सभी कम्प्यूटर नेटवर्किग के माध्यम से सर्वर से जुडे हुए है। विद्युत व्यवस्था बाधित होने पर "डाटा लॉस" से बचाव हुतु थानों पर 2 **KVA** के यू0पी0एस0 की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए थानों पर कम्प्यूटरों के लिए अर्थिंग भी की गई है।

धूल एवं नमी से कम्प्यूटर सर्वर की सुरक्षा हेतु सर्वर रूम को एअर कंडीशन के माध्यम से वातानुकूलित किया गया है। विभिन्न आकड़ो पंजीकरण आदि की प्रिटिंग लिए थानों पर दो प्रिंटर की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से एक प्रिंटर प्रिटिंग, स्केनिंग तथा फोटो कापी तीनों कार्य करता है। विभिन्न दस्तावेजों, फिंगरप्रिंटों तथा तस्वीरों को कम्प्यूटर में सुरक्षित रखने हेतु इनकी स्कैनिंग की जाती है।

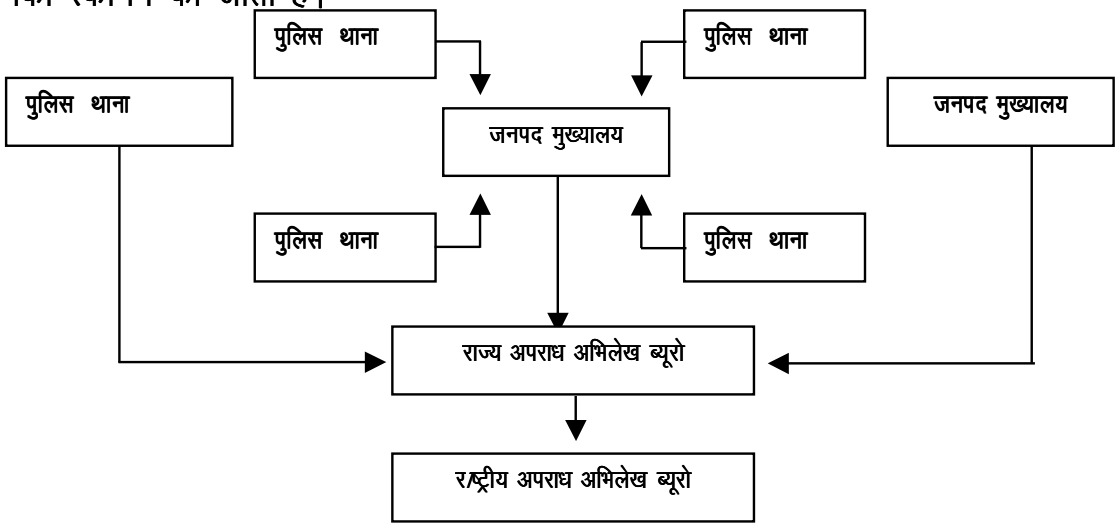

जनपद के समस्त थानों को जनपद मुख्यालय से जोड़ा जायेगा। सभी जनपद मुख्यालय राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरों से जुडेगे तथा राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो से जुड़ा रहेगा। इस प्रकार अपराध एवं अपराधियों की सूचनायें अन्य थानों पर उपलब्ध हो पाना त्वरित गति से संभव हो जायेगा।

सॉफ्टवेयर के मुख्य अंगः–

1. दैनिक स्टेशन डायरी :– दैनिक स्टेशन डायरी जिसमें कि थानों पर होने वाली समस्त गतिविधियाँ दिनांक एवं समय के साथ लिखी जाती है।
2. पंजीकरणः– पंजीकरण के अर्न्तगत प्रथम सूचना रिपोर्ट, भगोड़ा सम्बन्धी केस, असंज्ञेय रिपोर्ट, मेडिको लीगल केस, अप्राकृतिक मृत्यु, गुमशुदा व्यक्तियों की सूचना, लावारिस सम्पत्ति आदि सूचनाओं का पंजीकरण किया जाता है।
3. अन्वेषणः– अन्वेषण के अन्तर्गत किसी केस के संबंध में होने वाली समस्त प्रगति जैसे फिंगर प्रिंट लिया जाना, फिंगर प्रिंट रिपोर्ट की प्राप्ति, गवाहों के बयान, सम्पत्ति जब्ती आदि से लेकर न्यायालय में केस के चलने तक की प्रक्रिया तथा केस डायरी आदि लिखने की व्यवस्था है।
4. अभियोजन :– अभियोजन के अन्तर्गत न्यायालय में केस के चलने से लेकर निर्णय आने तथा केस के समाप्त होने तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया का समावेश है।
5. सूचनाः– सूचना के अन्तर्गत विभिन्न गिरोह जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, रनवीर सेना आदि के संबंध में विभिन्न सूचनाओं के संकलन किये जाने की व्यवस्था है तथा हिस्ट्रीशीटरों से संबंधित समस्त सूचनाओं का संकलन किया जाता है।
6. रजिस्टर :– रजिस्टरों में तुलनात्मक अपराध विवरण प्राप्त किये जा सकते है। साथ ही अपराध रजिस्टर तथा अन्य कई रजिस्टरों के माध्यम से एक प्रकार की सूचनाओं को एक साथ संक्षिप्त व एकत्रित रूप में देखा जा सकता है।

प्रवाहः– पंजीकृत होने वाली सूचनायें पुलिस थानें मे तीन माध्यम से होती है।

- शिकायतकर्ता द्वारा
- अन्वेषण अधिकारी द्वारा
- न्यायालय द्वारा निर्देशित

शिकायतकर्ता द्वारा सूचनायें प्राप्त होने के दो तरीके हो सकते है।

- लिखित
- मौखिक

सूचनाओं के पंजीकरण के अन्तर्गत मुख्य रूप से आने वाले तथ्य निम्न हैं–

संज्ञेय अपराध होने की दशा में –

1. शिकायतकर्ता की जानकारी
2. अपराधियों की जानकारी
3. पीड़ित व्यक्ति की जानकारी
4. घटना का दिनांक व समय
5. पुलिस थाने से दूरी व दिशा
6. अधिनियम व धारायें
7. अन्वेषण अधिकारी का नाम
8. ड्यूटी अधिकारी का नाम
9. बरामद सम्पत्ति का विवरण
10. नकल तहरीर हिन्दी वादी

पंजीकरण होने के उपरान्त पंजीकरण की एक प्रति शिकायतकर्ता को निःशुल्क प्रदान की जाती है।